

**THE BIHAR STATE  
LEGISLATURE (DELEGATION OF  
POWERS) BILL, 1969—*contd.***

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala)  
: Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand to speak on this Bill very briefly just touching on two aspects. This Bill, Sir, proposes to constitute a Consultative Committee consisting of Members of Parliament of both Houses for the purpose of being available for consultation by the President in regard to laws that have to be legislated upon during the period of the Proclamation under article 356 of the Constitution. Sir, since 1967 we are having quite a lot of instances in which article 356 of the Constitution is being resorted to and it would appear from the present trend that there are likely to be occasions in future when on account of instability in some of the States and want of legislative majority for the ruling party Proclamations under article 356 would have to be more often issued. I do not propose to go into the political aspects at this stage but I want only to state the necessity for having a proper and effective forum for legislation for the States under President's rule. The Consultative Committees that had been formed earlier and had functioned earlier had not been really effective. I myself had the privilege of working in the Consultative Committee regarding the State of West Bengal and my own feeling is that it has been more or less a formality being complied with by Government before legislations are made. I have found, Sir, in practice—and in my own State twice or thrice there have been Consultative Committees constituted while President's rule was in force—that Government have not taken seriously the necessity to make effective consultations with these Committees. It has often been found that the agenda for the meetings of the Consultative Committees are issued while the meeting is progressing or while the meeting is just about to begin and in practice members of these Committees are taken absolutely unawares by the large bulk of papers handed over to them and it has been impossible for them to give any proper, correct and

conscientious advice in regard to these legislations. I would therefore suggest to Government that the work of these Consultative Committees should be taken more seriously.

Again, Sir, we have got to make an approach and a decision as to what exactly is the scope of the legislations to be made during President's rule. There is an opinion, particularly in States where there is instability and where Proclamations under article 356 are being issued more than once during the normal life of the legislative Assembly which is Ave years that President's rule should be taken as a blessing so far as that particular State is concerned, and opportunity should be taken for better and progressive legislation. However much in practice that may be necessary, in principle I am not prepared to uphold that view because under the Constitution it is the primary duty of the State Government and the State Legislative Assembly to have these legislations made and therefore I would submit that only emergency legislations and legislations of an absolutely non-controversial nature should be made during the period of President's rule.

The second point that I would like to stress is the necessity for revoking President's rule in any State in which President's rule may occur—and particularly now we are referring to the State of Bihar—as early as possible. President's rule has come to Bihar after the mid-term election. The ruling party, which formed the Government after the mid-term elections, did it with a large number of defectors and these defectors were largely gathered from some of the non-Congress parties. When these defectors and a section of the Congress itself failed to get the necessary legislative support to the Government, the Government had to go. I submit that after the period of the present Proclamation, a chance should be given to the non-Congress Opposition parties in Bihar to form a Government and if that Government again fails, no doubt President's rule may have to be imposed. I would also state that the interim period, when the

State of Bihar is under President's rule, should not be utilised—I say ii because there is an apprehension in the State of Bihar—to pressurise the non-Congress parties and increase the Congress legislative strength. If that happens, once again what happened earlier, would be repeated and, therefore, when President's rule is revoked, the first chance should be given to the non-Congress Opposition parties in Bihar to form and attempt at a stable Government,

Thank you.

**श्री राजनारायण :** मैं कतई यह नहीं चाहता हूँ कि इस अवसर पर सलाहकार कोई तरीका सीखिये और बिहप को इतनी दूर से चेयर के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिये। यह कोई घर नहीं है, यह सदन है और आदरणीय सदन है।

**श्री ओम मेहता (जम्मू और काश्मीर) :** आप अपना भाषण करें।

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मंत्री जी में सद्बुद्धि जागे और वे सद्बुद्धि का उपयोग करें क्योंकि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 जुलाई को वहाँ पर राष्ट्रपति के शासन की घोषणा हुई थी और आज 26 अगस्त बीत गया है, सितम्बर आ रहा है और आठ दिन के बाद 4 सितम्बर भी आ जायेगा। इस तरह से यह सरकार 8 दिन के लिए वहाँ पर इस विधेयक को लागू करना चाहती है; क्योंकि हम चाहते हैं कि 4 सितम्बर को राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर असेम्बली को बुलावें ताकि वह अपना कोई लीडर चुन सके। अगर वह इतना नहीं कर सकती है तो जैसा

(Seeing Shri Om Mehta talking to the Vice-Chairman)

मैंने इसके पूर्व कहा था कि अगर किसी में जरा सी भी जनतंत्री बुद्धि है, तो वह यही कहेगा कि वहाँ के विरोधी पक्ष में इतनी क्षमता है कि वह अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन यह सरकार अनावश्यक ढंग से वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू करना चाहती है और इस बात पर तुली हुई है। मुझे आश्चर्य है कि कोई भी सरकार जो अपने को जनतंत्री कहती है, समाजवाद का दम भरती है, वह सरकार जनतंत्र और समाजवाद का अर्थ करते हुए इस तरह की बात कर सकती है। क्या ये केवल थोथे ही शब्द हैं और उन पर यह सरकार आचरण करना नहीं चाहती है।

श्रीमन्, हमारे संविधान की जो 366 वीं धारा है, उसके 1 के (ख) में यह दिया हुआ है ? “राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।”

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन के अधीन क्यों न प्रयोग हो। अगर संसद् को बिहार के संबंध में कोई विधेयक पास करना है, तो हम लोग उसको यहाँ पर अधिक समय देकर पास कर सकते हैं। हम इस काम के लिए दो घंटा रात को बैठ सकते हैं और बैठ कर किसी कानून को बना सकते हैं। संसद् जो जनतंत्र के प्रति निधियों की जमात है, उस संसद् का प्रयोग इस काम के लिए क्यों नहीं किया जाता है। इस तरह से इस विधेयक द्वारा सलाहकार समिति का गठन क्यों किया जा रहा है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के लिए एक सलाहकार समिति बनी थी और उस सलाहकार समिति का मुझे पूरा पूरा अनुभव है। विरोधी पक्ष जो कोई भी उस समिति में होती है, उसको बहुत कम अवसर वहाँ पर बोलने को मिलता है। उस समिति में जिसमें कार्ड वगैरह लगे रहते हैं, घर मंत्री जी और उप घर मंत्री जी आते हैं। वहाँ पर मामला रखा जाता है और किसी को सलाह देने के लिए नहीं कहा जाता

[श्री राजनारायण]

है। तुम को क्या कहना है, तुम्हारे क्या विचार हैं, इस तरह की बात कह कर वहाँ पर कानून जो रखा जाता है वह बन जाता है। इस तरह की नौटंकी आज इस जनतंत्र के जमाने में हो रही है। मैं आपसे अनुनय निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ और आरजू करता हूँ कि इस तरह की नौटंकी सरकार को नहीं करनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ा हूँ कि यह राष्ट्रपति है क्या। मैं ऐसा नहीं समझता था कि श्री गिरी जी इस तरह के होंगे। यह कहा जाता है कि यह सरकार एक सिविलियन सरकार है। यह देखिये उनके घर का पुजारी है और यह श्री गिरी जी हैं। श्री गिरी द्वारा मंदिर में प्रार्थना। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करने के एक दिन पूर्व श्री बी० बी० गिरी ने यहाँ आज प्रातः श्री वैकुण्ठेश्वर मंदिर में प्रार्थना की।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Mr. Vice-Chairman, on a point of order. It is highly improper for any hon. Member to call the conduct of the President in question and particularly "When he does something in his personal capacity, not as Head of the State. I would request you to rule the reference to the President as out of order."

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। जब श्री राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो वे बनारस गये थे और वहाँ उन्होंने नदेश्वर की कोठी में 101 ब्राह्मणों से चरणामृत ग्रहण किया था। मैंने इस संबंध में भी उनको लिखा था। स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास गये थे और उनके सामने नतमस्तक हुए। हमने इसके बारे में उनको लिखा और उन्होंने हमें हिन्दी में लिखा कि मैं चाहूँगा कि इस मामले को आगे न बढ़ाया जाय। हमने इस

मामले को आगे नहीं बढ़ाया। हमने राष्ट्रपति जी को लिखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद आप श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास गये थे और उन पर फूल चढ़ाये और वहाँ पर चरणामृत ग्रहण किया। यह जो बात उन्होंने की वह गलत की। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति है और मिनिस्टर मिनिस्टर है। वह घर में बैठ कर इस तरह के व्यक्तिगत कार्य कर सकता है। लेकिन जब वह सार्वजनिक जगहों पर जाता है, तो उसको इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिये और इस तरह के धार्मिक कृत्य नहीं किये जाने चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भागवत) : श्री राजनारायण जी, जरा आप बैठेंगे। इस समय हम डेलीगेशन पावर फार बिहार के संबंध में विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसके संबंध में आप चर्चा न करें।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है।

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu) : On a point of order, I did not catch what you said, but can I take it that you said that the Head of the State should not be discussed?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : No, no. What I said is that we are discussing the delegation of powers as far as Bihar is concerned. We are not discussing what the President should do or should not do.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उसको इस तरह से सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक कृत्य नहीं करने चाहिये। जब श्री गुलजारीलाल नन्दा ने श्री शंकराचार्य जी के वहाँ चरणामृत ग्रहण किया था, तो उस समय भी हमने इसका विरोध किया था। हमने उनको लिखा था कि आप इस राज्य को धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हो

मगर यह धर्म-निरपेक्ष राज्य नहीं है। अगर आप सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक कृत्य करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो फिर कैसे अपने आपको निरपेक्ष कह सकते हैं। यह जो चीज है, वह गलत चीज है।

**श्री ओम् मेहता :** अब इनका कितना समय रह गया है की ये बोले चले जा रहे हैं।  
The time allotted to this is only one hour.

**उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) :** दो मिनट और रह गये हैं।

**श्री राजनारायण :** इसलिए श्रीमन् मैं यह चाहता हूँ कि इस विधेयक द्वारा बिहार के संबंध में कोई कमेटी न बनाई जाय। जो भी वहाँ के लिए आवश्यक कानून है उन्हें सदन में लाया जाना चाहिये क्योंकि इस सदन के सदस्यों को पूरा पूरा हक है कि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। सलाहकार समिति का बनाया जाना और उसमें किसी की राय न लेना, यह गलत चीज है। मैं श्री मंडल साहब की बात की तारीफ़ करता हूँ कि वहाँ पर जब कौंसिल अभी भी बनी हुई है और कानून के द्वारा बनी हुई है तो उसके द्वारा क्यों इस तरह के कानून नहीं बनवाये जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति जी जितने भी यहाँ पर बिहार के सदस्य हैं उन्हें यह अधिकार दे दें कि बिहार के संबंध में जो भी कानून बनाने चाहें बनायें। इस विधेयक के द्वारा जो सलाहकार समिति बनाई जा रही है वह तो बिल्कुल एक मखोल है और इस तरह की बात करना घर मंत्री जी को शोभा नहीं देता है। इस लिये मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूँ। इस विधेयक के अन्दर जो एक इच्छा छिपी हुई है, जो एक कुत्सित भावना छिपी हुई है जो एक पड़यंत्र छिपा हुआ है, उसका मैं घुंघट खोलना चाहता था, लेकिन उसके लिये समय नहीं है। फिर भी मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूँ कि आज हर प्रकार का पापाचार हमारे देश में हो रहा है और राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, वह एक व्यक्ति नहीं है, वह

भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति है और इसलिये उसको धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को साकार रूप में प्रगट करना होगा। वह जो चाहे करे, ऐसा नहीं हो सकता है।

**श्री बिद्या चरण शुक्ल :** उपसभाध्यक्ष जी, अभी इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई ऐसी बातें कही गईं जिनका इस विधेयक से कोई मतलब नहीं है। इसलिये उनके सम्बन्ध में मैं ज्यादा कहूँगा नहीं। पर जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि संसद के पास, न केवल राज्य सभा बल्कि लोक सभा के पास भी, इतना समय नहीं है कि उसमें जो हम बहुत से विधेयक राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत पारित करना चाहते हैं उन पर पूर्ण रूप से विचार कर के, उनको समय दे कर उनको हम यहाँ पारित करें। इस लिये यह प्रक्रिया कुछ दिनों से हमारे यहाँ जारी कर दी गई है कि माननीय सदस्यों की, जो कि दोनों सदनों से लिये जाते हैं, एक समिति बनाई जाती है। उस समिति की घंटो बैठक होती है और उसमें अच्छी तरह से सब विधेयकों पर विचार होता है। उनकी सम्मति ले कर के फिर सरकार के द्वारा निर्णय किया जाता है कि कौन सा विधेयक पारित करना है और कौन सा विधेयक नहीं पारित करना है। इस लिये मैं यह समझता हूँ कि इस कमेटी का जो विरोध किया जा रहा है वह सोच समझ कर नहीं किया जा रहा है।

श्री कल्याण राय ने कुछ बिहार के मतलों के बारे में हम लोगों का ध्यान खींचा, खास कर के कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में। मैं इसके बारे में जरूर जांच कराऊँगा कि किस तरह की हालत वहाँ पर चल रही है। यदि उसमें कुछ ऐसी बातें देखी गईं जिन में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता अनुभव की गई तो उनमें हम जरूर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे।

जहाँ तक वहाँ सरकार बनाने का सवाल है मुझे और मैं समझता हूँ कि सभी माननीय

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

सदस्यों को इस बात का दुःख होगा कि मध्यावधि चुनाव के बाद बिहार में जिस तरह की राजनैतिक स्थिरता की हम आशा कर रहे थे उस तरह की राजनैतिक स्थिरता बिहार में नहीं आ सकी। वहां पर शुरू शुरू में एक मिलीजुली सरकार बनी जिसका नेतृत्व कांग्रेस दल के द्वारा किया गया। दुर्भाग्यवश वह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी, कुछ महीने ही चली। उसके बाद माननीय सदस्यों को मालूम है कि वहां विरोधी दलों को भी सरकार बनाने का मौका दिया गया। पर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि वह सरकार भी केवल नौ दिन चल सकी। नौ दिन में आगे वह सरकार भी नहीं चल सकी। जब इस तरह की विषम परिस्थिति वहां पर बन गई तब राष्ट्रपति के पास सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नहीं रह गया कि जब तक वहां पर राजनैतिक स्थिरता न आये, जब तक वहां स्थायी सरकार बनाने का वातावरण न बन जाय तब तक वहां की असेम्बली को निलंबित कर दिया जाय। जब तक इस बात का विश्वास हमें राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट के द्वारा नहीं हो जाता है कि वहां स्थायी सरकार बनाने की गुंजाइश है या संभावना है तब तक इस चीज को हटा कर फिर वहां पर इस तरह की परिस्थिति पैदा करना ठीक नहीं होगा जिस के कारण वहां पर लगातार सरकारें बनीं और बिगड़ीं। उसमें न वहां की प्रशासनिक प्रक्रिया सुधरेगी और न वहां पर जिस तरह का हम एक स्वस्थ वातावरण चाहते हैं उस तरह के स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। यदि वहां मिलीजुली सरकार या विरोधी दलों की सरकार ठीक तरहसे चल जाती तो इस तरह की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

यह बात बहुत ही हास्यास्पद लगती है कि हम लोग अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। इससे हमारी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है।

श्री राजनारायण : यहां भी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल ही रही है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट और ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं।

इस सरकार को भी मिलीजुली सरकार की संज्ञा दी जा सकती है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, यह श्री राजनारायण जी के दिमाग का फितूर है और इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों को यहां बीच में लाना ठीक नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो वहां कांग्रेस की सरकार बनी वह कुछ महीने तो चली, पर राजनारायण जी की पार्टी जिस सरकार में शामिल थी वह नौ दिन भी नहीं चल पाई।

श्री राजनारायण : दस महीने चली।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह बात कहना कि वहां पर हम लोगों ने जानबूझ कर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये कोई काम किया, यह सरासर गलत बात है। ऐसी बात किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं कहनी चाहिये। मैं आप को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि जब वहां पर इस बात की संभावना हो जायगी कि वहां पर स्थायी चल सकने वाली सरकार बन सकती है तो जो वहां पर विधान सभा को निलंबित किया गया है, उसको हटा दिया जायगा। (Interruption.)

हम यह नहीं चाहते हैं कि वहां पर कांग्रेस की ही सरकार बने। जैसे ही वहां पर कोई स्थायी सरकार बनाने के योग्य होंगे और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करेंगे, हम लोग एक दिन की भी देर किये बिना इस बात का प्रयत्न करेंगे कि वहां पर स्थायी सरकार बन सके।

श्री चन्द्रशेखरन् ने जो एक मुझाव दिया उसको मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छा मुझाव है कि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जो कानून बनें वे कानून ऐसे बनें जो बहुत आवश्यक हों और जिन के बारे में कोई राजनैतिक विवाद न हो। हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि हम लोग जो कानून बनायें वे ऐसे ही हों। अगर कोई आर्डिनेंस जारी हुआ हो और उसको हम को पारित करना हो या

उसको कानून का रूप लेना हो या कोई ऐसा कानून हो जिस का कोई विशेष राजनैतिक महत्व न हो या केवल दिन प्रति दिन की कार-वाइयों के अंतर्गत जो इस तरह के कानून होते हैं जिन में कोई कांट्रोवर्सी नहीं होती है, ऐसे ही कानूनों को हम अधिकतर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत पास करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि पिछले वक्त जब बहुत से राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आये तो एक दो ऐसे कानून सलाहकार समितियों के सामने आये जिन के बारे में वादविवाद हुआ या कोई कांट्रोवर्सी हुई और इस लिये उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने यह तय किया कि उनको छोड़ दिया जाय और जब वहां पर लोकप्रिय सरकार बने तो वह उनके बारे में तय कर के कोई कानून बनाना चाह, तो बनाये। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हम ऐसे कानून नहीं बनाना चाहते हैं जिन के बारे में किसी प्रकार की कांट्रोवर्सी हो। इस लिये मैं समझता हूं कि माननीय चन्द्रशेखरन् जी का जो सुझाव है वह हम लोगों को मान्य है।

इतना कह कर मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि परम्परा के अनुसार जो यह विधेयक आया है इसको वह पास करे जिस से हम इसके द्वारा एक सलाहकार समिति बना कर जब तक हमारे ऊपर इस बात की मजबूरी है कि हम बिहार का राज्य शासन चलायें तब तक हम उसकी सलाह से वहां का काम चला सकें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि सदन राष्ट्रपति जी को इस बात का भी अधिकार दे कि वे कानून भी उस राज्य के लिये पास कर सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws, be taken into consideration."

The motion was adopted. 6—

36 R.S./69

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, I move :

"That the Bill be passed". The question was proposed.

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : उपसभा-ध्यक्ष जी, इस बिल के तीसरे वाचन पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ बिहार की तीन ज्वलन्त समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

हमारा पहला सुझाव, जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, सरकार के गठन के बारे में है—दो तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोग वहां देख चुके हैं, गैरकांग्रेसी दलों के संयुक्त मोर्चे की सरकार नहीं चल सकी और कांग्रेस के संयुक्त मोर्चे की सरकार नहीं चल सकी—कि वहां जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है असेम्बली में उसको गवर्नर बुलाएं सरकार बनाने के लिए बिना इस बात का ख्याल किए हुए कि उनकी तरफ कितने आदमी हैं। गवर्नर ने जो यह शर्त लगा रखी है कि लिस्ट लाओ कितने आदमी हैं हम वेरीफाई करेंगे, कांग्रेस के के लोगों ने 165 की लिस्ट दी, एस० एस० पी० ने भी दी है, मैं चाहता हूं कि लिस्ट देखने का अधिकार . . .

श्री राजनारायण : प्रेसिडेंट के चुनाव में कितने वोट कांग्रेस को मिले ?

श्री रेवती कान्त सिंह : कांग्रेस को 111 मिले हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बिहार) : 165 मिले हैं।

श्री राजनारायण : 110 मिले हैं।

**श्री रेवती कान्त सिंह :** मैं यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नर को यह देखने का अधिकार न हो कि कितने आदमी उनके साथ हैं बल्कि जो सिगिल लाजेंस्ट पार्टी कांग्रेस है उसको बुलाए और कहें कि तुम सरकार बनाओ। वह सरकार बनाना चाहें तो उनको सरकार बनाने दी जाय, बहुमत और अल्पमत की बात तो असेम्बली में हो जायगी, गवर्नर को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस के लोग उसके लिए तैयार नहीं तो दूसरी पार्टी असेम्बली में एस० एस० पी० है, उसको अधिकार दिया जाय कि वह अपनी सरकार बनाए, असेम्बली में जो होना होगा, होगा लेकिन गवर्नर जो बाधा बन जाते हैं वह बात गलत है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में गवर्नर को निर्देश करे कि वे बाधा न बने चाहे कांग्रेस की सरकार बने या एस० एस० पी० की सरकार बने।

दूसरा मुद्दा मैं यह देना चाहता हूँ कि अभी बिहार में जोरों की बाढ़ आई हुई है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक रेलवे लाइन के उत्तर का समूचा इलाका पानी से भरा हुआ है। फिर उत्तर बिहार में गंगा पार करने के बाद पूर्णिया जिले से चम्पारन तक, बीच में सहरसा और दरभंगा को भी लेते हुए सारा का सारा यानी तीन-चौथाई बिहार इस समय बाढ़ की चपेट में पड़ा हुआ है। जिस मुस्तैदी के साथ वहां रिलीफ का काम होना चाहिए था वह अभी तक भी नहीं हो रहा है। मैं अभी 24 तारीख को लौटकर आया हूँ बिहार से और सारी स्थिति देख कर आया हूँ। मैं खास तौर से अपने जिले शाहाबाद में गया था अपने घर की तरफ। आरा-बक्सर रोड के उत्तर में सारा का सारा पानी है। आरा-बक्सर रोड से मुझे अपने घर तक जाने के लिए नाव से जाना पड़ा जबकि रोड बनी हुई है लेकिन कहीं रिलीफ का कोई काम नहीं हो रहा था। इसी तरह की बाढ़ बिहार में 1967 में भी आई थी लेकिन पापुलर गवर्नमेंट वहां थी—चाहे वह किसी की भी रही हो, मुझे अभी राजनीति

से मतलब नहीं—इसलिए रिलीफ का काम वहां जिस मुस्तैदी के साथ हुआ था आज उस मुस्तैदी के साथ नहीं हो रहा है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द बार फूटिंग पर रिलीफ का काम होना चाहिए।

तीसरी समस्या जिसकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ—पिछले साल जुलाई के महीने में जब हम इस तरह का बिल डिस्कस कर रहे थे उस समय भी आपको याद होगा इसकी चर्चा की गई थी—वह है बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित। बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल 1968 में चली थी। 25 जुलाई 1968 को लोकसभा में गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि वे हड़ताल वापस ले लें, उन्हें किसी तरह से विक्तिमाइज नहीं किया जायेगा और उनकी हड़ताल 25 की शाम से वापस हुई लेकिन आज 13 महीने पूरे हो रहे हैं, 26 अगस्त हो गई है, 13 महीने से भी एक दिन ऊपर हो गया है, लेकिन उनके ऊपर उस समय जो मुकदमे चले थे उनमें से सैकड़ों लोगों के ऊपर वे मुकदमे ज्यों के त्यों हैं। उन लोगों से उस समय छुट्टी लेने आदि के क्या क्या सर्कुलर निकले थे, लेकिन उनका 15 दिन का वेतन अभी तक बाकी है। 5 रोज के लिए फरवरी, 1968 में जो हड़ताल हुई थी उस समय जो वेतन कटा था उसके बारे में जब भोला शास्त्री की सरकार बनी थी तो कैबिनेट में यह तय हो चुका था कि वह वेतन दे दिया जायगा, लेकिन वह वेतन नहीं दिया गया। नतीजा यह है कि बिहार स्टेट नान-गजटेड एम्प्लोईज फेडरेशन की ओर से पटना सेक्रेटेरियट के पश्चिमी फाटक पर 18 अगस्त से रिले हंगर स्ट्राइक चल रही है 7-7, 8-8 के बैचेज में और मुझे यह सूचना मिली है कि कल 27 अगस्त से श्री जोगेन्द्र नारायण सिंह और मुखदेव नारायण चौधरी नान-गजटेड एम्प्लोईज फेडरेशन के दो जिम्मेदार मेम्बर आमरण अनशन करने जा रहे हैं इन मांगों को लेकर। मैं सरकार से कहना

चाहता हूँ कि गृह मंत्री को, प्रधान मंत्री को, भारत की सरकार को इसमें इन्टरवीन करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को बुला कर राउन्ड टेबिल बात करके जो पिछले साल एग्जोरेंस दिए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए जिससे एम्लाईज और सरकार के रिलेशनस, स्ट्रेंड होते जा रहे हैं न वे हों। ये तीन मुद्दा मैं देना चाहता था और मैं सरकार से इसका जवाब चाहूँगा।

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** उपसभाध्यक्ष जी, जहाँ तक बाढ़ और अराजकवित्त कर्मचारियों का सवाल है, मुझे इसके बारे में कुछ सूचना इस वक़्त तो नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दूँगा और जो कुछ सम्भव हो सकेगा हम जरूर करेंगे।

जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि जब तक राज्यपाल महोदय को पक्का विश्वास न हो जाय कि वहाँ पर सरकार स्थायी रूप से किसी भी दल के द्वारा चल सकती है तब तक वे इस तरह का मुद्दाव राष्ट्रपति जी को नहीं देंगे। यह हम लोगों का अधिकार नहीं है कि राज्यपाल को कहें कि उन्हें निर्णय किस तरह करना चाहिए और किस तरह इस बात का परीक्षण करना चाहिए। वे अपनी स्वेच्छा से वहाँ की परिस्थिति समझबूझ कर जो उचित समझेंगे उस तरह का मुद्दाव देंगे और जब उनका मुद्दाव मिलेगा तब उसके ऊपर हम विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): The question is :

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

#### THE CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL, 1969—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): We come back to the

Criminal and Election Laws Amendment Bill, 1969. The First Reading was over. We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

#### Clause 2—Substitution of new section for section 153A

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): There are eight amendments. Mr. Niranjana Varma and Mr. Vaishampayan are not here. Mr. Ganeshi Lai Chaudhary, are you moving your amendment?

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move :

20. "That at page 2, line 4, for the words 'or ill-will' the words 'ill-will or untouchability' be substituted".

मेरा जो एमेंडमेंट है वह बिल्कुल सीधा-सादा है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर आपने...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): Ill-will or untouchability.

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY : "Feelings of enmity, hatred or ill-will".

दिया है उनके साथ 'अनटचेबिलिटी' भी जोड़ दें क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी श्री शंकराचार्य ने पटना में थोड़े दिन हुए एक सभा की और उस धार्मिक सभा में उन्होंने खुल्लमखुल्ला हरिजनों के खिलाफ प्रचार किया और अनटचेबिलिटी का प्रचार किया और आपका देश का जो कानून है उसके मातहत उनको सजा नहीं दिलाई जा सकी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक आप "अनटचेबिलिटी" को भी इसमें नहीं ला देते तब तक जो लोग हरिजनों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ छुआछूत मानते हैं, उनके खिलाफ प्रचार करते हैं उनको इस कानून के मातहत सजा नहीं दी जा सकती। यह कहने के बाद मैं प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे एमेंडमेंट को मान लें।

The question was proposed.